सभ्य, सुरक्षित सम्मानजनक पर्यटन

एक संयुक्त पहल

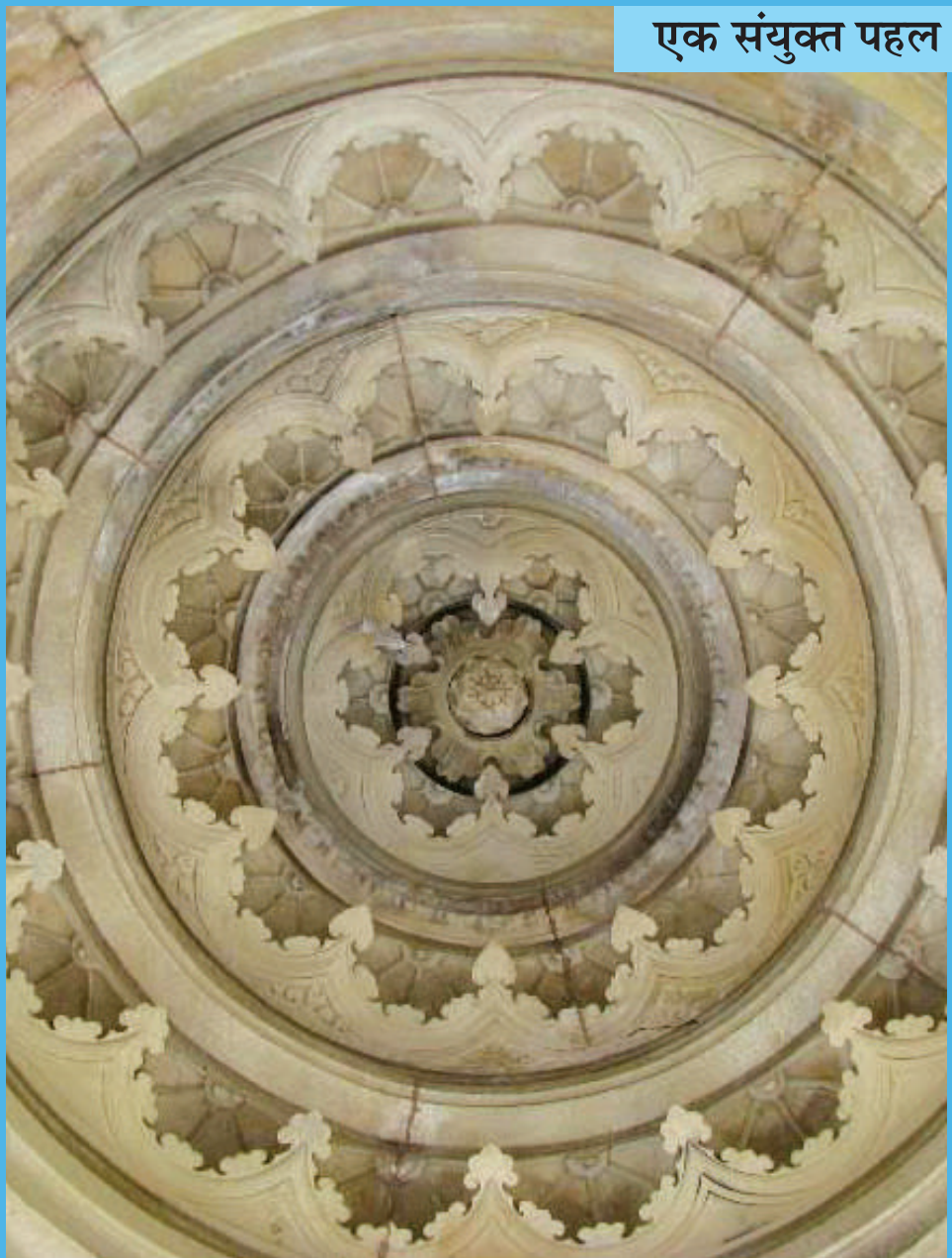

अंधकार से प्रकाश की ओर !

दुनिया को देखे बिना हमारा ज्ञान अधूरा है। इस उक्ति का सार भारतीय दर्शन में भी बिखरा पड़ा है। पर्यटन हमें उस उजास की ओर ले जाता है, जहां ज्ञान–विज्ञान, प्रकृति और जीवन के ढेरों रहस्यों से भरी एक अलग ही दुनिया है। यह दुनिया हमें समृद्ध करती है, संवारती है, आलोकित करती है। लेकिन पर्यटन के मायने बीते दशक में बदले हैं। इसमें सिर्फ मनोरंजन का अतिरेक है। यहां ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, समाज नहीं, बल्कि हिंसा, असमानता और शोषण की असंवेदनशील पराकाष्ठा है। मूल रूप से संस्कृति उस देश के पर्यटन का सृजन करती है। मगर पर्यटन की नई परिभाषा एक भिन्न प्रकार की संस्कृति का विकास कर रही है। सरकार की बाजारवादी नीतियां प्राइज परिपाटी को प्रोत्साहित करने वाली हैं। इस पुस्तिका को आप तक पहुंचाने के पीछे मकसद यही है कि पर्यटन के इस अनियोजित, अमानवीय और असंवेदनशील विकास को रोका जाए। इसलिए भी, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं की कीमत चुकाकर इसे आगे ले जाने वाले हैं। इसे समझें, जानें और मिलकर इसे सुधारने को आगे आएं।

शीर्षक – **सभ्य, सुरक्षित, सम्मानजनक पर्यटन**

लेखन – चिन्मय मिश्र, राकेश मालवीय, सचिन कुमार जैन, रेखा श्रीधर, प्रो. संदीप जोशी, इक्वेशंस

संपादन – सौमित्र रॉय

संयुक्त प्रयास – विकास संवाद, हिफाजत, इक्वेशंस, सीआरटी, सीआरजी, जनउगाही, कैरिटास, इक्पैट नीदरलैंड

प्रकाशक – विकास संवाद

पता – ई 7/227, प्रथम तल, धनवंतरी काम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश

ईमेल – vikassamvad@gmail.com

वर्ष – 2015

डिजाइन – अमित सक्सेना

मुद्रक – श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स

1

पर्यटन का आर्थिक ताना-बाना

कमाई तो बढ़ी लेकिन किस कीमत पर ?

भारत में देशी और विदेशी, दोनों तरह के पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि में 69 लाख विदेशी पर्यटक आए, यानी 4.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी। घरेलू पर्यटकों में सालाना 16 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। नतीजतन राजस्व भी बढ़ा। वर्ष 2014 में 8.2 प्रतिशत ज्यादा कमाई हुई। भारत में पर्यटन और इस पर टिके उद्योगों का बाजार करीब 7.6 लाख करोड़ रुपये का है। उम्मीद है कि 2022 तक यह 25 लाख करोड़ रुपए को पार कर लेगा। इसे देखते हुए सरकार ने 2013–14 में पर्यटन क्षेत्र का बजट 1,297.66 करोड़ रुपये कर दिया। यह 2012–13 में 1210 करोड़ और 2011–12 में 1110.9 करोड़ रुपये था।

यह होटलों, चमचमाती सड़कों, पर्यटन स्वागत केन्द्रों, ऐतिहासिक स्मारकों के नवीनीकरण, विशेष पर्यटन परियोजनाओं, साहसिक एवं खेल सुविधाओं, धवनि एवं प्रकाश कार्यक्रमों, ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार, सीवेज प्रबंधन, उपकरणों की खरीद तथा विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं में खर्च होना है। ये सब काम निजी–सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से होगा। सरकार ने पर्यटन उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना है। इसके तहत लागू नियमों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य अनिवार्यताओं की पालन करते हुए शत–प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।

लेकिन स्थानीय समुदाय के हितों का क्या ?

सरकार को पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों के हितों की चिंता है। स्थानीय समुदाय के हितों की नहीं। पर्यटन क्षेत्र का दावा है कि वह स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार पैदा करेगा, लेकिन यह एक सीमा तक ही मुमकिन है। इसके बाद जो होगा, वह रोजगार नहीं शोषण माना जाएगा। खासकर आदिवासी, हाशिए पर खड़े समाज के कमजोर वर्गों, संसाधनों का। पर्यटन क्षेत्र में पीपीपी और एफडीआई को प्रोत्साहन मिलने पर जरुरी हो जाता है कि स्थानीय भागीदारी भी बढ़े। हालांकि, स्थानीय समुदाय को योजनाओं का हिस्सा बनाए बगैर यह संभव नहीं। सरकार का मॉडल प्रमुख रुप से निजी कंपनियों के हितों की ही पूर्ति करने वाला है।

पर्यटन क्षेत्र का दावा है कि वह स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार पैदा करेगा, लेकिन यह एक सीमा तक ही मुमकिन है। इसके बाद जो होगा, वह रोजगार नहीं शोषण माना जाएगा। खासकर महिलाओं और बच्चों का।

पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के रोडमैप में कई कमियां हैं। देशभर के जाने-पहचाने पर्यटन स्थलों में ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिल जायेंगे, जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने और व्यापक ढांचागत इंतजामों के बाद भी स्थानीय लोगों की आजीविका के स्रोत घटे। हॉस्पिटेलिटी और उड्डयन क्षेत्रों में कुशल कामगारों की कमी देखने को मिली है। सो इन क्षेत्रों में मानव संसाधन की दृष्टि से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

पर्यटन क्षेत्र में कामगारों का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक किस्म का है, जिसे सामाजिक लाभ या सुरक्षा कवच की सुविधा हासिल नहीं है। पर्यटन क्षेत्र के लिए नियम-कायदे तैयार करते समय केवल फेरी वालों पर ही गौर किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में अनौपचारिक श्रम की उपस्थिति बढ़ रही है, जिसे नियम-कायदों का इंतजार है। अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर तमाम बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पर्यटन क्षेत्र का विकास होने के क्रम में स्थानीय समुदायों के हितों की बिगड़ती लय पर ध्यान कम है।

फैक्ट फाइल

- वर्ष 2012 में अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 6.6 प्रतिशत।
- वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज़्म काउंसिल का आंकलन है कि वर्ष 2020 तक पर्यटन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में 8.50 लाख करोड़ रूपए का योगदान कर रहा होगा।
- कुल 3.95 करोड़ लोगों को रोजगार मिला।
- वर्ष 2013 में 18.13 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा मिली।

खतरे की घंटी कौन सुने?

देश में किसी भी पर्यटन स्थल का विकास संसाधनों और स्थानीय व्यवस्था पर दबाव पैदा करता है। मिसाल के लिए गोवा को लें। वहां 10 में से एक रोजगार परोक्ष-अपरोक्ष रुप से पर्यटन पर आधारित है। पर्यटन ने इस छोटे से राज्य में कुशल-अकुशल के साथ बुजुर्गों और गृहणियों को भी काम में कहीं न कहीं खपाया है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव देखें तो पर्यटन का ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ है, जो स्थानीय नहीं है। गोवा में चार्टर्ड टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन से पता चलता है कि चार्टर्ड दूरिस्ट की यात्रा, होटल और अन्य खर्चों का 80 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर कंपनियों को जाता है। लेकिन यही चार्टर्ड टूरिस्ट गोवा में रोजाना 15 डॉलर से भी कम पैसा खर्च करते हैं।

लब्बोलुआब यह है कि पर्यटन विकास की योजना बनाते समय हमें इससे जुड़े आर्थिक पहलुओं पर भी बारीकी से ध्यान देने की जरुरत है। खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां वन, जल संसाधन और उपजाऊ कृषि भूमि की प्रचुरता है।

2

पर्यटन नक्शे में गुम होता समाज

पर्यटन नीति (2015) के मसौदे में स्थानीयता का अभाव

पर्यटन एक बाजार है। आप बेवजह घूमने जा सकते हैं। व्यस्तताओं से निजात पाने और दौड़भाग के बीच सुकून के दो-पल चुराने के लिए। या फिर किसी लुभावने टूर पैकेज से रीझकर भी सैर-सपाटे की योजना बनाई जाती है। पर्यटन के दौरान गंतव्य स्थल के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय समाज के रहन-सहन को देखने-समझने का विचार फिलहाल हमारी योजना का सबसे आखिरी हिस्सा बन रहा है। बेहतर होटल, सपाट सड़कें और मनोरंजन के आधुनिक, सुविधाजनक और किफायती साधन हमारे योजनागत विमर्श के निर्णायक बिंदु हैं। दरअसल भौगोलिक और सामाजिक रुप से एकात्मवाद के रास्ते पर चल रहे सभ्य शहरी समाज की सोच का विस्तार है मौजूदा पर्यटन। भ्रमण अपने आप में आनंददायक काम है। इसमें बाहरी मनोरंजन को जोड़ना गाहे-बगाहे उस समाज और उसमें रहने वाले लोगों की गरिमा से जुड़ा सवाल बन जाता है, जो परोक्ष या अपरोक्ष रुप से पर्यटन के विकास पर आश्रित हैं। कई बार यह शोषण, उत्पीड़न और उस अपराध को भी बढ़ावा देता है, जो हम अपने सामाजिक दायरे में नहीं कर सकते। इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्यटन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है, लेकिन स्थानीय समाज की अस्मिता, उसकी गरिमा और समाज के कमजोर तबकों खासकर महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा की कीमत पर स्वच्छंद पर्यटन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, नई पर्यटन नीति का मसौदा इससे ठीक उलट बात करता है। अव्वल तो पर्यटन मंत्रालय ने इसे अंग्रेजी में तैयार किया। इस पर कोई चर्चा, संवाद या बहस नहीं हुई। फिलहाल हमारे सामने कई तरह के सवाल हैं। क्या पर्यटन की एक नीति बनाते समय स्थानीय समाज, उसकी सुरक्षा को जानने और समझने की प्रक्रिया नहीं चलती है? क्या पर्यटन का मतलब केवल 'किसी जगह छुट्टी के कुछ दिन बिताना' भर है? सरकार जिस तरह की नीति बनाने जा रही है, उससे तो इन सभी सवालों के जवाब 'हां' में ही मिलते हैं। यह नीति केवल और केवल पूंजीपति पर्यटकों और उनकी विलासिता की जरुरत को पूरा करने की मंशा से तैयार की गयी

सात 'स' में समाज कहां ?

पर्यटन नीति के मसौदे में सात 'स'- **स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, संरचना और सफाई** को मूल उद्देश्य बताया गया है। इसमें '**समाज, संस्कृति और संज्ञान**' के लिए कोई स्थान नहीं है।

लगती है। क्या वास्तव में पर्यटन से समाज का कोई लेना-देना नहीं है? क्या पर्यटन का मतलब केवल बड़े होटल, रिसॉर्ट और महंगा परिवहन ही है? पर्यटन नीति का प्रारूप कहता है कि बांधों को पर्यटन केंद्र के रुप में विकसित किया जायेगा। सरकार बांधों के आसपास जलक्रीड़ा और होटल-रिसॉर्ट के लिए जमीन भी उपलब्ध कराएगी। वहीं सरकार कोर्ट में पेश हलफनामे में यह भी कहती है कि इन बांधों से विस्थापित हुए लोगों के लिए उसके पास जमीन नहीं है। इस नीति में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि पर्यटन क्षेत्रों के स्थानीय समाज के मूल्यों, मान्यताओं, ताने-बाने, पारंपरिक व्यवस्था का अध्ययन करके पर्यटकों के व्यवहार के लिए बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किये जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पर्यटक उन सिद्धांतों का पालन करेगा।

शोषण के बढ़ते मामले और बेअसर पर्यटन संहिता

जिन परिवारों के घरों, खेत-खलिहानों, संसाधनों को उजाड़कर पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात की जा रही है, उन परिवारों को इस पर्यटन विकास के लिए धन्यवाद का पात्र तक नहीं माना गया। उनके जीवन, रोजगार के विकल्पों को ढूंढ़ने, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात विमर्श में ही कहीं नहीं है। मूल अंग्रेजी प्रारूप में महिलाओं, बच्चों, दलित, आदिवासी, जंगल, तटीय और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले वंचित समुदाय की भावनाओं को पूरी तरह से नकार दिया गया है।

पर्यटन पर काम करने वाली बेंगलुरु की संस्था इक्वेशंस ने 2003 में शोध करके बताया था कि गोवा और केरल में बच्चों का शोषण हो रहा है। फिर 2006 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी माना कि पर्यटन से मानव तस्करी और वैश्यावृत्ति बढ़ी है। वर्ष 2007 में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने कहा था कि भारत के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं तटीय पर्यत क्षेत्रों पर बच्चों के लैंगिक शोषण के मामले बढ़े हैं। 2015 में श्रम मंत्रालय ने कहा कि होटलों और ढाबों में बच्चों से श्रम करवाकर शोषण किया जा रहा है। ओडीसा, केरल, आंध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में हुए अध्ययनों और बीते 15 साल के अनुभवों को देखते हुए यह जरुरी है कि पर्यटन क्षेत्र को जिम्मेदार, पारदर्शी और सम्मानजनक क्षेत्र बनाया जाए। पर्यटन नीति का मसौदा क्षमता के अनुसार सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय समुदाय के हितों का संरक्षण करने की बात तो करता है, लेकिन इनके जमीनी अमल की कोई ठोस कार्ययोजना सरकार के पास नहीं है। भारत में पर्यटक पुलिस का प्रावधान है, मगर 95 फीसदी पर्यटन स्थलों में इसके बारे में कोई नहीं जानता। पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन संहिता बच्चों, महिलाओं और स्थानीय समुदाय के संरक्षण जुड़े बिंदुओं का पालन करना अनिवार्य नहीं है। आम लोग भी पर्यटक पुलिस के बारे में कम ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम जगहों पर इसे काम करते हुए देखा है। पर्यटक पुलिस की वैधानिकता स्पष्ट नहीं है और न ही उनके अधिकार। नयी नीति भी इसे लेकर खामोश है।

यह क्षेत्र खुद बढ़ रहा है। फिर भी सरकार बड़ी ढांचागत विकास

परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कम से कम 25 हेक्टेयर के बड़े पर्यटन अंचलों को 10 साल के लिए आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव बना रही है। इसमें सम्मेलन और प्रदर्शनी स्थल, आवासीय केंद्र (होटल), भोग-विलास के स्थल, गोल्फ कोर्स, आनंद कल्याण केंद्र (वेलनेस सेंटर), पर्यटन खेल स्थल, आध्यात्मिक पर्यटन स्थल आदि शामिल हों।

भारत में पर्यटन : एक नजर में

(2013 के आंकड़े)

- 114 करोड़ देशी पर्यटक
- 1.99 करोड़ विदेशी पर्यटक
- 18.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा
- 7 लाख करोड़ का बाजार

स्थानीय संसाधनों पर दबाव

साल 2002 तक भारत में 27 करोड़ घरेलू पर्यटक थे, जो 2014 में बढ़कर 114 करोड़ हो गए। हमने यह सवाल पूछा कि क्या हमारे पर्यटन क्षेत्र इस नयी संख्या का बोझ उठा पाने में सक्षम हैं? या इसे भी व्यवस्थित किये जाने की जरूरत है, ताकि स्थानीय पारिस्थितिकी, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं पर इस संख्या का कोई बुरा असर न पड़। बद्रीनाथ-केदारनाथ में पर्यटकों की संख्या 20 साल में 10 गुना बढ़ गयी। इसे देखते हुए होटलें और सड़कें बनाने का काम यह सोचे बिना शुरू कर दिया गया कि क्या पहाड़ इन ढांचों के निर्माण के भार को सहन कर पायेंगे? परिणाम हम देख रहे हैं- प्राकृतिक आपदाएं और पर्यटकों के ऊपर बढ़ता संकट।

रोजगार तो है, पर किसके लिए?

पर्यटन से सालाना लगभग 4 करोड़[1] लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन यह रोजगार किस तरह का है और लोगों को कैसे मिल रहा है? पर्यटन के साथ अमूमन हमारी नीति बड़े होटल और ढांचे खड़े करने की होती है। स्थानीय और आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए कोई अवसर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास निवेश के लिए पूंजी नहीं होती है। उनकी जमीनों और संसाधनों को बड़ समूह अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। बदले में उन्हें दिहाड़ी पर या नौकर के रुप में रख लिया जाता है। अगर

पहले उद्योग, अब ब्रांड

पहली राष्ट्रीय पर्यटन नीति वर्ष 1982 में बनी। इसमें पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने पर जोर रहा। फिर 1986 में पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा मिल गया। पर्यटन क्षेत्र में आर्थिक रियायतें, करों में छूट, आसान ऋण, पानी-बिजली में प्राथमिकता तभी से दी जाने लगीं। इसके बाद 1991 की उदारवादी अर्थव्यवस्था में पर्यटन को प्राथमिक क्षेत्र मानकर 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी। 1998 में पर्यटन को 'एक्सपोर्ट हाउस' का दर्जा मिला, जो 2002 की नीति में भी बरकरार रहा। भारत को एक 'ब्रांड' के रूप में स्थापित करने की बात हुई। दो से पांच सितारा होटलें खोलने के लिए रियायतों का दायरा 2015 की नयी नीति में 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ाने की बात है। सवाल यह है कि केवल बड़ होटल बनाने वालों या बड़ा निवेश करने वालों को ही छूट क्यों?

1 www.financialexpress.com/article/lifestyle/travel-tourism/indiantourism-and-travel-sector-to-grow-maximum-globally-wtte/605841

केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया वेबसाइट के मुताबिक पर्यटन में 10 लाख डॉलर के निवेश पर केवल रोजगार के 78 नये अवसर पैदा होते हैं! यह महंगा सौदा है।

गैर-बराबरी मिटाना है, तो रोजगार के अवसरों की कठोर समीक्षा करना होगी। विश्व व्यापार एवं पर्यटन परिषद के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान 7642 अरब रुपए का है। यह 2025 तक बढ़कर 18587 अरब रुपए का हो जायेगा। ऐसे में पर्यटन जीवन का सबसे महंगा उपक्रम भी हो जायेगा। क्या हमारी संस्कृति में कभी भी नर्मदा परिक्रमा के लिए लोगों को अपनी जेब और जमापूंजी टटोलनी पड़ी है कि इस परिक्रमा का खर्च कहां से आएगा? मध्यप्रदेश में अब नर्मदा परिक्रमा के लिए 15 हजार रुपए लगते हैं। हमें अपनी नीति को ऐसा बनाना चाहिए कि समाज, युवा और महिलाओं को पर्यटन के लिए प्रोत्साहन और सुरक्षा मिले।

बदहाल गांवों में पर्यटन ?

पर्यटन नीति 2015 के मसौदे में निजी-सार्वजनिक-राज्य-लोक साझेदारी का उपयोग करके पर्यटन को एक उत्पाद की तरह पेश करने की बात कही गयी है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार पर्यटन प्राधिकरण बनाकर संभावनाओं का दोहन करेगी। हालांकि, स्थानीय निकायों पंचायत और ग्रामसभा को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन गांव और खेत में भी पर्यटन होगा। यह समझ से परे है कि बदहाल, उजड़ते गांवों में पर्यटकों को क्या नजर आएगा। विरोधाभासी बात यह है कि अगर सरकार देश की 75 फीसदी आबादी को शहर ले जाना चाहती है तो फिर ग्रामीण पर्यटन का कोई तुक नहीं।

इस बात में कोई शक नहीं है कि इस क्षेत्र को बाजार के बजाये समाज केंद्रित बनाने की जरुरत है। समाज को मुख्य भूमिका मिलने से ही पर्यटन क्षेत्रों का सही और बेहतर संरक्षण हो सकेगा। आर्थिक गैर-बराबरी कम होगी और संस्कृति खतरे में नहीं पड़ेगी। बच्चों, महिलाओं और स्थानीय समुदाय का शोषण रोकने के लिए भी अधिकारों को केवल सरकारों और बड़े पूँजी बाजार के हाथ में सीमित न रहने दे।

हर भिक्षा श्रृद्धा नहीं होती
मिट जाता है अक्सर जब
अहसास ईमान का
खैरात मांगने तब जो निकलते हैं
वो बच्चे भी तो अपने हैं।

3

पर्यटन का आधुनिक सन्दर्भ और चुनौतियां

पर्यटन स्थलों में संसाधनों, इतिहास, स्थापत्य और संस्कृति को सहेजने की बात क्यों नहीं ?

भारत देशाटन करने वाला राष्ट्र रहा है। यहां लोग एक खास मकसद के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहे हैं। इसी प्रवृत्ति ने हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को कायम रखा है। हालांकि, सरकार इसके मायने बदलने की कोशिश में है। धार्मिक पर्यटन स्थलों को ऐशोआराम से भरपूर सुविधाओं, मौज-मस्ती, सड़क, होटल, लक्जरी कमरों से सजाकर बेचने की बात हो रही है। स्थानीय संसाधनों, संपदाओं, इतिहास, स्थापत्य और संस्कृति के संरक्षण की बात नहीं हो रही है।

ऐसा लगता है कि सरकार पर्यटन क्षेत्र का केवल दोहन के लिए उपयोग करने के प्रयास में है। पर्यटक को इसके लिए आजाद किया जा रहा है। सरकार इसके लिए हर तरह के साधन-संसाधन उपलब्ध कराने को तत्पर है। पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय समाज के मूल्यों, मान्यताओं, ताने-बाने, पारंपरिक व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद ही पर्यटकों के लिए बुनियादी व्यावहारिक सिद्धांतों के निर्धारण और उन्हें अमल में लाने के प्रयास नहीं हो रहे। फिलहाल पर्यटन की समूची व्यवस्था को बच्चों के नजरिए से देखने की जरुरत है। जिस तेजी से पर्यटन का विस्तार एक कमाऊ स्रोत के रुप में हो रहा है, उसमें बच्चों के हक मारे जा रहे हैं। उनके विकास की संभावनाएं सीमित हो रही हैं।

पर्यटन की समूची व्यवस्था को बच्चों के नजरिए से देखने की जरूरत है। जिस तेजी से पर्यटन का विस्तार एक कमाऊ स्रोत के रूप में हो रहा है, उसमें बच्चों के हक मारे जा रहे हैं। उनके विकास की संभावनाएं सीमित हो रही हैं।

मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, गोवा, ओडीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु में अध्ययनों से पता चलता है कि इन राज्यों के पर्यटन स्थलों पर बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। उन्हें स्कूली शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। लड़के और लड़कियों का यौन शोषण भी हो रहा है। नशे की लत कई अलग-अलग रुपों में विस्तार ले रही है। बच्चे गुम हो रहे हैं और उनकी तस्करी भी हो रही है।

बाल वैश्यावृत्ति एक बड़ा आकर ले रही है। बड़े धार्मिक मेलों-उत्सवों में जहां लोग अपनी आस्था का निर्वाह करने आते हैं, वहां बच्चों का गुम हो जाना और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न होना अनायास होने वाला मामला नहीं है। हम इस तरह का पर्यटन नहीं चाहते, जो असम्मानजनक, असुरक्षित और हमारी

सांस्कृतिक विरासत के लिए विध्वंसकारी साबित हो। हम ऐसा पर्यटन चाहते हैं जिसमें अतिथि और आतिथेय दोनों सुरक्षित हों। ऐसा पर्यटन जो इतिहास, विरासत, प्रकृति, परम्पराओं और सामाजिक विशेषताओं के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाता हो। हमें यह मानना होगा कि यदि पर्यटन को समाज और सिद्धांतों से अलग करके देखा गया, तो शोषण तो बढ़ना ही है। शायद इसीलिए बढ़ भी रहा है।

नहीं लिखी है नीले आसमानों ने
इबारत भीख की उनके मस्तक पर,
प्रभुत्व ने रचा यह प्रपंच है
उठें, मानें और कहें
बचपन शोषण में नहीं खपने हैं
कुछ बनने की खातिर
तालीम से ये भी तो तपने हैं।

4

आज का पर्यटन : क्वल्म होती 'पाठशाला'

देशाटन से मौज-मस्ती के पर्यटन तक, समाज को समृद्ध करने का सिलसिला थम सा गया है

भारत में पर्यटन हमेशा से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने वाला रहा है। आदि शंकराचार्य का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने देश के चारों कोनों की यात्रा कर इन मूल्यों को स्थापित करने वाले मठ खड़े किए। पर्यटन केवल आर्थिक लाभ कमाने वाला बाजार नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और प्रकृति के बारे में सिखाने वाला सबसे प्रभावशाली विश्वविद्यालय है। भारत में पर्यटन का इतिहास धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम समेत सभी सम्प्रदाय अपनी मान्यताओं और विशेष महत्व वाले क्षेत्रों की यात्रा धार्मिक प्रयोजनों से करते रहे हैं। अमूमन धार्मिक पर्यटन स्थल हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। इनकी यात्रा के दौरान पर्यटक अलग-अलग समुदायों को जानने-समझने की कोशिश करते हैं। हिम शिखर (गंगोत्री, बदरीनाथ-केदारनाथ), पहाड़ (सम्मेद शिखर, गिरनार पर्वत, वैष्णोदेवी), नदियां (त्रिवेणी संगम, गंगा, नर्मदा, कावेरी), जंगल और पेड़ (बरगद, पीपल, अशोक), समुद्र (पुरी, कालीकट, कन्याकुमारी), साहित्य और कला (उज्जैन और दक्षिण भारत के कई क्षेत्र), शिक्षा (नालंदा), अध्यात्म (अजमेर, खजुराहो), प्रेम (ब्रज और मांडू), प्रकृति की चरम अवस्थाओं का जीवन (रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्र) और स्थापत्य कला भी शामिल हैं। इन स्थानों का महत्व केवल मौजमस्ती तक ही सीमित नहीं। हमने भ्रमण करके बहुत कुछ सीखा है। पर्यटन के दौरान पर्यटक ही छात्र भी होता है और शिक्षक भी। स्थानीय समाज और पर्यावरण इस शिक्षा के संयुक्त केंद्र होते हैं। यहां किसी भी किस्म के शोषण को मान्यता नहीं दी

पर्यटन की परिभाषा से आगे

विश्व पर्यटन संगठन ने पर्यटन की परिभाषा यूं दी है- ''**पर्यटक वे लोग हैं, जो एक सीमित समय के लिए अपने रहवास से बाहर यात्रा करते हैं। इसके पीछे मनोरंजन, व्यापार, छुट्टियां बिताना जैसी कई वजह हो सकती हैं।**''

रोजमर्रा के जीवन से कुछ समय के लिए निजात पाकर समय बिताना पर्यटन का स्वरूप हो सकता है, किन्तु यह बिना मकसद के नहीं होता है। पर्यटन किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन और समाज के विस्तार का साधन है। हालांकि, यह परिभाषा एक पर्यटक ध्यान में रख कर दी गई है, लेकिन इसमें समाज और पर्यटन के स्थान का भी उतना ही महत्व माना जाना चाहिए।

जानी चाहिए। इसे केवल बाजार के रुप में भी पेश नहीं किया जाना चाहिए। पर्यटन की व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें पर्यटक के साथ पर्यटन क्षेत्र की संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक मूल्यों और विरासत का सम्मान हो। स्थानीय समुदाय के ताने–बाने पर चोट न की जाए।

आज के पर्यटन से किसी पर्यटक को अपने समाज को जानने–समझने का अवसर ही नहीं मिलता। पहले पर्यटन की खातिर आमतौर पर तीर्थ यात्राएं हुआ करती थीं। यात्री इन कठिन यात्राओं के दौरान उन समाजों के बारे में सीखते–समझते थे। उत्तराखण्ड में उंचाई से गिरते झरनों से आटा पीसने की घराडी जिज्ञासु पर्यटकों के जरिए ही लोगों के सामने आई और देशभर में फैली। इसी तरीके से पनबिजली पैदा करने, घर–घर पानी पहुंचाने की तकनीक भी कई इलाकों में ईजाद हुई थी। मध्यभारत के इलाकों में कुंओं से सिंचाई करने की रहट पंजाब के रास्ते उत्तराखण्ड जाने वाले किन्हीं पर्यटकों के जरिए पहुंची थी। कभी एक स्थान से दूसरे स्थान की लगातार यात्रा करने वाले बंजारों ने समूचे पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में सैकड़ों तालाब खुदवाए थे। जसमा–ओढ़न की कथा इन्हीं पर्यटकों के माध्यम देश के ठेठ पूर्वी इलाकों से पश्चिमी हिस्से तक पहुंच पाई थी। अब नेपाल और उत्तराखण्ड के पर्यटन केंद्र प्राकृतिक आपदाओं के घेरे में हैं, क्योंकि इन स्थानों से कुछ सीखने–समझने के बजाय हम इन्हें उजाड़ने में जुटे हैं।

हमारी शिक्षा पद्धति में सभ्य–सुरक्षित–जागरुक पर्यटन का कोई सबक नहीं है। बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि पर्यटन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कानून हैं और उनका पालन करने के लिए क्या आचार–संहिता बनाई गई है।

जो आते हैं देशाटन को
जिनके अपने सपने हैं
वो भी मानें औजार थामे हैं जो
वो बच्चे भी तो अपने हैं।

5

पर्यटन में बच्चों का शोषण

मध्यप्रदेश में पर्यटन में बाल शारीरिक शोषण व बाल मजदूरी

(विकास संवाद, इक्वेशंस के अध्ययन से निकले तथ्यों के संदर्भ में)

मध्यप्रदेश ने बीते कुछ वर्षों में देश के पर्यटन मानचित्र पर गहरी छाप छोड़ी है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत इंतजामों पर काफी जोर दिया जा रहा है। हालांकि, इसका समाज के असुरक्षित तबकों यानी बच्चों पर प्रभाव का आंकलन नहीं हुआ है। इसे समझने के लिए विकास संवाद और इक्वेशंस ने मध्यप्रदेश में 'पर्यटन और बाल शोषण' विषय पर एक अध्ययन किया। अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन स्थलों, खजुराहो (ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण) और धार्मिक शहर उज्जैन का चयन किया गया। अध्ययन में बच्चों के काम करने व रहवास की स्थितियां, उन पर शारीरिक हिंसा, बच्चों के साथ किये जाने वाले अपराधों के साथ शारीरिक शोषण, उनका अश्लील चित्रण में उपयोग के साथ ही बाल शोषण के तरीकों, क्रियाकलाप, व्यवस्था और रोकथाममूलक संस्थाओं, एजेंसियों की भूमिका से जुड़े पहलुओं को भी समझने की कोशिश की गई।

अध्ययन का उद्देश्य और कार्यप्रणाली

बीते कुछ वर्षों में अलग-अलग शोध अध्ययनों, जनगणना सर्वेक्षणों और सामान्य अवलोकनों से निकले तथ्यों के सामने आने से यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पर्यटन क्षेत्र में बच्चों का शोषण होता है। इसे रोकना मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारों ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसी बात ने एक नए शोध की प्रेरणा दी, ताकि सरकार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी भागीदार इस बात को समझें कि पर्यटन क्षेत्र में सब-कुछ ठीक नहीं हो रहा है।

यह एक गुणात्मक शोध है। इसमें कुछ अवलोकन से जुड़ी जानकारियां हैं, जिन्हें पुष्ट करने के लिए सरकारी अधिकारियों, नागरिक संगठनों, पीड़ित बच्चों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े भागीदारों से बात की गई। ज्यादातर लोगों ने अपना नाम और पहचान जाहिर न करने की अपेक्षा की, जिसका सम्मान किया गया है। पीड़ित बच्चों ने अपनी पहचान नहीं छिपाई, पर सुरक्षा कारणों से इसे गोपनीय रखा गया है।

इस अध्ययन में मुख्य रूप से यह पाया गया कि बाल शोषण को लेकर व्यापक समाज असहज नहीं है (जैसे बच्चों का मजदूरी करना या शिक्षा से बाहर होना)। दूसरी तरफ शारीरिक शोषण जैसे मामलों में यह देखा गया कि वह 'सूचित शोषण' है, यानी शोषण करने वाले और शोषण का सामना करने वाले

दोनों को ही यह पता है कि शोषण हो रहा है। इसमें कोई शिकायत नहीं होती। अंतत: कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता। हम मानते हैं कि बच्चों के शोषण की कठोर वास्तविकता को खारिज करने की अपेक्षा उसकी पहचान की जाए और स्थिति को बदलने की सामूहिक–सामाजिक पहल हो। इस अध्ययन के जरिए पर्यटन स्थलों की संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत का असम्मान करने की हमारी मंशा कतई नहीं है।

हमारा उद्देश्य सरकार और नागरिक संगठनों को पर्यटन स्थलों को बच्चों के लिए सुरक्षित और कमजोर वर्गों के लिए सम्मानजनक बनाने की दिशा में वातावरण तैयार करना है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष कुछ इस प्रकार रहे–

खजुराहो (जिला छतरपुर)

क्या मिला

- होटलों में काम करते बच्चे। यह बालश्रम अधिनियम के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन।
- अनधिकृत होटलों और रहवास में बच्चों के शारीरिक शोषण के मामले।
- कुछ पर्यटकों द्वारा नाबालिग लड़कियों की अश्लील फोटो खींचने के मामले।
- अनधिकृत टूर गाइडों, अनधिकृत ऑटो चालकों, कुछ लपकों के द्वारा आसपास के गांवों से बालिकाओं को लाकर कुछ पर्यटकों के द्वारा उनका शारीरिक शोषण। खासतौर पर एक समुदाय विशेष की बालिकाएं इसकी मुख्य रूप से शिकार हैं।
- बच्चों के जरिए कामुक साहित्य (कामसूत्र की किताब) की बिक्री। वे बच्चे जो इस तरह की किताबों में प्रकाशित सामग्री से अनभिज्ञ हैं।
- देशी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों की बाल शोषण में संलिप्तता।

निष्कर्षों के पीछे के कारण :

- पर्यटक पुलिस का कहना है कि पर्यटकों द्वारा बाल शोषण के सम्बन्ध में एक भी शिकायत उन्हें नहीं मिली है।
- पुलिस की इस विषय पर खास समझ भी नहीं है।
- पर्यटन मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार पर्यटक पुलिस तो है, लेकिन उसमें और सामान्य पुलिस में कोई अंतर नहीं दिखा।
- अधिकांश होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों से अक्सर पहचान पत्र नहीं मांगा जाता, जबकि नियमानुसार होटल में ठहरने वाले हर व्यक्ति से उसका पहचान पत्र मांगकर उसकी स्कैन्ड कॉपी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए।

- अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश होटलों में सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संहिता[2] का न तो पालन हो रहा है और न किसी को इसकी जानकारी है।
- पर्यटकों को किताब बेचने और उनसे कमाई के लालच में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
- छतरपुर जिले में बाल श्रमिकों का कोई सर्वे नहीं है। अध्ययनकर्ताओं से बातचीत में तकरीबन सभी संबंधित लोगों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि खजुराहो में अनधिकृत रूप से काम कर रहे कुछ टूर गाइड, कुछ लपके बच्चों के शोषण और लैंगिक उत्पीड़न में पर्यटकों की मदद करते हैं।
- पुलिकर्मिओं की प्रशिक्षण मार्गदर्शिका में किशोर न्याय अधिनियम को शामिल नहीं किया गया।

  अनधिकृत रहवास और अनधिकृत रूप से चल रहे गेस्ट हाउस और अपंजीकृत होटलों के बारे में पंचायत को कोई जानकारी नहीं है।

परिभाषित संरचनाओं का हाल

- छतरपुर जिले में चाइल्ड लाइन नहीं है। खजुराहो, छतरपुर जिले में आता है। किशोर न्याय अधिनियम के अंर्तगत गठित बाल कल्याण समिति और किशोर पुलिस इकाई है, पर इसके सदस्यों को भी अपनी भूमिका के बारे में पता नहीं है।
- समिति की नियमित बैठक नहीं है।
- बच्चों के शोषण के मामले में पर्यटक पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग बाल शोषण से अनभिज्ञ है, जबकि श्रम विभाग को कार्रवाई के लिए शिकायत आने का इंतजार है। विभाग के पास पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत बच्चों का कोई डाटा नहीं है।

उज्जैन शहर

अध्ययन में क्या मिला

- कई होटलों में बड़े पैमाने पर बच्चे होटलों में काम करते मिले। सरकार को बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या नहीं पता।
- मंदिरों के आसपास बड़ी संख्या में बच्चे भीख मांगते मिलते हैं।
- आस-पास के गांवों में भी बच्चों के शोषण की खबरें हैं।

---

2 भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2010 में पर्यटन उद्योग के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण संहिता (सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म कोड) का अनुमोदन किया। इस कोड में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति के अधिकार का पर्यटन गतिविधियों में सम्मान किया जाए व इन्हें सुनिश्चित किया जाए। इसके क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि पर्यटन उद्योग को स्थानीय लोगों व पर्यटकों, विशेषतौर पर बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सही दिशा में पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देशों व श्रेणियों का संशोधन करना और इन्हें अनिवार्य बनाया जाना एक स्वागत-योग्य कदम है।

- बच्चों के गुम होने के मामले बड़ी संख्या में दर्ज हैं।
- भीख मांगने वाले बच्चों और बाल श्रमिकों में नशाखोरी आम है। ये गांजा या व्हाइटनर सूंघकर नशा करते हैं, जो आसानी से उपलब्ध है। इस तरह के नशे के आदी हो जाने के बाद बच्चों को अपराधियों के हाथों शारीरिक शोषण के चंगुल में फंसने का खतरा ज्यादा होता है।

निष्कर्षों के पीछे के कारण

- अध्ययन में पाया गया कि पर्यटकों के द्वारा किए गए बाल शोषण की एक भी शिकायत पुलिस के पास तक नहीं आई है।
- अधिकांश होटलों में सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संहिता का न तो पालन हो रहा है और न ही कोई इनके विषय में जानता है।

परिभाषित संरचनाओं का हाल

- उज्जैन में चाइल्ड लाइन[3] है। बाल कल्याण समिति और विशेष किशोर पुलिस इकाई भी है। अध्ययन के समय (2012–13) यह पाया गया कि इनके बीच आपसी समन्वय तो है, लेकिन अन्य विभागों के साथ समन्वय नहीं है। अध्ययन के समय यह पाया गया कि विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास बैठने की जगह ही तय नहीं है। अलबत्ता इनकी नियमित बैठक होती है।
- अध्ययन के समय (2012–13) टूरिस्ट पुलिस कहीं नजर नहीं आई।
- पुलिस विभाग पर्यटन स्थलों में बाल उत्पीड़न से इनकार करता है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।
- श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास 14 अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। इस तरह की बातें इसलिए कही जाती हैं, ताकि बच्चों से जुड़े, खासकर बाल मजदूरी जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में नाकामी को छिपाया जा सके। श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बाल मजदूरी और पर्यटन के बीच किसी जुड़ाव को खारिज करते हैं। बाल मजदूरी से जुड़े अधिकांश मामले राजस्व न्यायालय में लंबित हैं।
- एकीकृत बाल संरक्षण योजना को महिला बाल विकास विभाग के साथ जोड़ तो दिया है, लेकिन इस पर अमल के लिए कोई जवाबदेय तौर–तरीका तय नहीं किया गया है।
- अध्ययन के समय यह पाया गया कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था इसलिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसे बच्चों का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है।
- महिला बाल विकास विभाग का पर्यटन विभाग से कोई समन्वय नहीं पाया गया।

---

3 चाइल्ड लाइन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जरुरतमंद बच्चों के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजना है, जो कि 24 घंटे चालू रहती है।

बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, बाल तस्करी और पर्यटन

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुमान के मुताबिक, भारत के कुल 23 लाख व्यावसायिक सेक्सकर्मियों में 15 प्रतिशत बच्चे[4] हैं। उनका शोषण वेश्यालयों, मालिशघरों, नाइट-क्लबों, ब्यूटी-सैलूनों, होटलों, सहायक सेवाओं, निजी घरों के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, सड़कों, सार्वजनिक पार्कों और हाल के दिनों में सर्कसों में बदस्तूर जारी है[5]। एक ओर बच्चों का यौन शोषण काफी व्यापक है, तो दूसरी ओर इस समस्या से निपटने में वयस्कों की अनिच्छा के कारण ये गतिविधियां दुनिया की नजरों से छुपी रहती हैं और इसका खुलासा नहीं होता है। नतीजतन, इनमें पकड़े जाने के बहुत कम जोखिम के चलते अपराधी लम्बे समय तक बारंबार ये अपराध करते रहते हैं। इसके अलावा, पर्यटक की गुमनामी और गैर-जवाबदेही पर्यटन और बच्चों के यौन शोषण के बीच के संबंध को विशेष रूप से नुकसानदेह बनाता है। इससे अपराध में लिप्त पर्यटकों को पकड़ने और सजा दिलाने की संभावना कम रहती है। कानून में भी कई खामियां हैं, जिसके कारण आरोपी और बिचौलिये साफ बच जाते हैं।

पर्यटन में बाल उत्पीड़न : यह आसानी से दिखाई नहीं देता

पर्यटकों की बड़ी संख्या में आमद के चलते बच्चों का उपयोग सस्ते श्रम के लिए किया जाता है। बच्चे इसका प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। वे आसान शिकार बन जाते हैं। पर्यटन में बाल शोषण और बाल अश्लील चित्रण एक गंभीर, सुनियोजित अपराध बन गया है। सरकार को केवल पर्यटकों की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय इसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए।

पर्यटन में बाल यौनाचार और शोषण की स्वीकृति

पर्यटन से संबंधित बाल यौनाचार के मामले केवल गोवा या विदेशी पर्यटकों तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग[6], राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग[7] और इक्पैट[8] के 2003 में किए गए अध्ययन 'भारत में बाल शारीरिक पर्यटन का एक स्थितिगत विश्लेषण' में केरल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोवलम में बच्चों के शारीरिक शोषण के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसके पदचिन्ह अब गोवा से उत्तरी कर्नाटक के गोकरना और कारवार जैसे क्षेत्रों में भी नजर आने लगे हैं। पर्यटक इन क्षेत्रों के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों- ओम और कुडले सागरतटों का इस्तेमाल बच्चों का शारीरिक शोषण के लिए करने लगे हैं।[9] जनवरी 2006 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 'भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी' में दोहराया गया है कि गोवा और कोवलम के सागर तट बाल शारीरिककर्मियों के ठिकाने बनते जा रहे हैं। पूर्वी भारत के ओडीशा में जगन्नाथ पुरी के पास

4 यू.एस., डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर 'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन प्रैक्टिसेज, साऊथ एशिया, इंडिया' 2006

5 भारत में बच्चों के व्यावसायिक यौनशोषण के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति पर विश्व अनुश्रवण रिपोर्ट-2006, बाल वेश्यावृत्ति, बाल यौन साहित्य और यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों की तस्करी खत्म करो द्वारा।

6 स्टडी ऑन कोस्टल सेक्स टूरिज्म एंड जेंडर, राष्ट्रीय महिला आयोग के लिये इक्वेशंस द्वारा किया गया अध्ययन-2002

7 ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 2003 में किया गया एक अध्ययन

8 इक्वेशंस एंड चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल परपस ECPAT इंटरनेशनल का एक सदस्य है।

9 सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ सेक्स टूरिज्म इन इंडिया (गोवा एंड केरल), ECPAT के लिये इक्वेशंस द्वारा किया गया अध्ययन, दिसम्बर 2003

स्थित पेंटाकोटा गांव में स्थानीय लोगों और होटल संचालकों की मिलीभगत से संगठित बाल शारीरिक अपराध का केंद्र बन रहा है[10]।

इक्पैट के अध्ययन 'दक्षिण एशिया में बालकों के शारीरिककर्मी बनने का एक स्थितिगत विश्लेषण'[11] यह इंगित करता है कि 'बच्चों का शोषण सड़कों, बाजारों, बस अड्डों, होटलों, रेस्त्राओं और धार्मिक प्रतिष्ठानों में बदस्तूर जारी है। फुटपाथ पर रहने वाले बालकों की एक बड़ी संख्या शारीरिक शोषण का शिकार है और ऐसे बालकों की औसत उम्र लगभग 12.5 वर्ष और उससे कम है। शारीरिक शोषण के शिकार अधिकांश बच्चों को इस पेशे में धकेले जाने से पहले उन्हें शारीरिक अपराध का शिकार बनाया गया था।' पर्यटन में हाऊसबोट और घरेलू मेजबानी जैसी संस्कृति के नये स्वरूप बाल यौनाचार के मामलों में बच्चों की असहाय स्थिति को और गंभीर बना देते हैं, क्योंकि इनकी पहचान बहुत मुश्किल है। सरकार को पर्यटन के नए स्वरूपों को प्रोत्साहित करने से पहले इस पर नियंत्रण और इससे उपजी बुराइयों से सुरक्षा के उपाय और तंत्र विकसित करने चाहिये।

पर्यटन में बाल मजदूरी

भारत सरकार ने 10 अक्टूबर, 2006 से सड़क के किनारे स्थित भोजनालयों, चाय दुकानों, रेस्तराओं और होटलों आदि में बच्चों से काम करवाने पर पाबंदी लगा दी है। श्रम और नियोजन मंत्रालय के अनुसार, यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई बच्चों को हिंसक व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है। फैसले के बाद कार्यरत बच्चों को उनके कार्यस्थलों से हटाकर पुनर्वास और सुधार-गृहों में रखा गया। इन सुधार-गृहों में बाल अधिकारों के संरक्षण की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। यहां रहकर बच्चे शोषण के सामने और भी असहाय हो जाते हैं। जरूरी है कि सरकार के पास सुधार-गृहों और पुनर्वास केन्द्रों में रह रहे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण करने और उन्हें उनके परिवारों और समुदायों से जोड़ने के इंतजाम हों। साथ ही इसके नियमित फॉलोअप की व्यवस्था भी हो।

पर्यटन सेवाओं का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में और कमजोर स्थिति में है। इस क्षेत्र को नियम-कानून और सुख-सुविधाओं की दृष्टि से बहुत कम संरक्षण प्रदान किया जाता है। इन क्षेत्रों में बच्चे बड़ी संख्या में कार्यशील हैं और उनको काम की कठिन परिस्थितियों में, बिना सुरक्षा के और शोषण से बचाव के अभाव में काम करना पड़ता है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए और बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए सही प्रणाली लागू करनी चाहिए।

10 10 नवम्बर 2006, द आउटलुक : ऑफ पुरीज होली प्रेसिंक्ट, अनहोली सेक्स टूरिज्म हैज मेड पेन्टाकोटा, ए स्मॉकल फिशिंग हैमलेट, पैराडाइज फॉर पीडियोफाइल्स।

11 सिचुएशनल एनालिसिस रिपोर्ट ऑन प्रोस्टिट्यूशन ऑफ ब्वॉयज इन इंडिया (हैदराबाद), जून 2006, ECPAT इंटरनेशनल।

6

बाल केंद्रित नजरिए से संवेदनशील व्यवस्था की बात

पर्यटन को सुरक्षित, सम्मानजनक और जिम्मेदार बनाने के लिए परिस्थितियों को बुनियादी रुप से बदलने की जरुरत है। यह बदलाव हमारी–आपकी संयुक्त पहल से ही आ पायेगा। सरकार, ट्रैवल एजेंटों, बच्चों और महिलाओं के हकों की निगरानी करने वाली संस्थाओं, मीडिया, जनप्रतिनिधियों, अकादमिक संस्थाओं और पर्यटकों के साथ आपकी भी इसमें अहम भूमिका है। हमें पर्यटन की व्यवस्था में कुछ जरुरी कोशिशें करनी होंगी। उम्मीद है कि सरकार की नीतियों, पर्यटन की शिक्षा और पर्यटन से जुड़े सभी पक्ष बच्चों के नजरिए से एक संवेदनशील व्यवस्था स्थापित करने में मददगार होंगे–

1. पर्यटन नीति और योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का बच्चों और महिलाओं से जुड़े मसलों को देखते हुए आंकलन किया जाना चाहिए। पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय को 'पर्यटन में बाल शोषण रोकने के लिए राष्ट्रीय और राज्य की कार्ययोजना' बनानी चाहिए। पर्यटन उद्योग, सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन और समाज की इसमें भागीदारी हो।

2. पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षित और सम्मानजनक संहिता का पालन करने की अनिवार्यता होना चाहिए। यह भी जरुरी है कि पर्यटन विभाग के अमले को केंद्र सरकार की पर्यटन के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक संहिता (एसएंडएच कोड) का पालन के लिए जागरूक किया जाए। इस संहिता के सन्दर्भ में यह सुनिश्चित किया जाना जरुरी है कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों (जैसे होटल, टैक्सी, गाइड, टूर आपरेटर्स आदि) के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए।

3. टूरिस्ट पुलिस की भूमिका को सक्षम और मजबूत बनाना। पर्यटकों की सुरक्षा के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि टूरिस्ट पुलिस स्थानीय समुदाय, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की शोषण से सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान के लिए भी जिम्मेदार हो।

4. पर्यटन की नीति और कार्ययोजना में बच्चों महिलाओं के शोषण/दुर्व्यवहार को रोकने, इस तरह के प्रकरणों के निष्पादन की प्रतिबद्धता जाहिर हो। जिस तरह पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने की पहल कर रहा है, बेहतर होगा कि वह महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग एवं सामाजिक कल्याण विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित करे।

5. पर्यटन क्षेत्रों में शोषण अमूमन नजर नहीं आते। इस पर अध्ययन हो कि इन्हें कैसे पहचाना जाए और क्या कार्यवाही होनी चाहिए? बच्चों और महिलाओं की स्थिति जांचने के लिए पर्यटन क्षेत्रों पर सालाना आंकड़े इकट्ठे हों और परिस्थिति का विश्लेषण हो। बाल संरक्षण पर्यटन क्षेत्र में बच्चों के हकों के सन्दर्भ में जिला बाल संरक्षण समिति को सक्रिय बनाये जाने और पर्यटन विभाग को भी इस समिति में शामिल किये जाने की जरुरत है। इस समिति की नियमित बैठक होना जरुरी है।

6. पर्यटन में स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में बच्चों, महिलाओं, स्थानीय समुदाय के शोषण से जुड़े पहलू शामिल हों।

7. पर्यटन में बाल संरक्षण विषय पर एक सेमेस्टर का प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम शुरु किया जाए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विशेष किशोर पुलिस इकाई, पर्यटक पुलिस और बाल संरक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय में काम करें।

8. पर्यटन के विकास के नाम पर स्थानीय समुदाय की पहचान, उनकी संस्कृति और ताने–बाने के संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9. पर्यटन विकास से सम्बन्धित दी जाने वाली अनुमतियों में आवेदक के द्वारा यह घोषणा पत्र दिया जाना चाहिए कि वह स्थानीय समुदाय, खासकर बच्चों और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, दैहिक शोषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

10. पर्यटन क्षेत्रों पर बच्चों के गुमने, उनकी तस्करी और अपहरण की सबसे ज्यादा सम्भावना होती है, पर वास्तव में ये प्रकरण वहां दर्ज ही नहीं होते हैं। इस सन्दर्भ में बाल सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाना चाहिए।

11. पर्यटन की नीति बनाने में संविधान के सिद्धांतों और प्रावधानों, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते और बच्चों के हकों के लिए बने कानूनों का सन्दर्भ जरुर लिया जाना चाहिए।

12. पर्यटन की नीति बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन और निगरानी में स्थानीय निकायों की स्पष्ट और सक्रिय भूमिका होना चाहिए।

7

पर्यटन का स्याह पक्ष

पर्यटन उद्योग के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आचार संहिता को अनिवार्य बनाया जाए

पर्यटकों के सामने हाथ फैलाए भीख मांगते, होटलों में जूठे बर्तन धोते या फिर विदेशी पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए तमाशों में अपना बचपन खोते बच्चे। ये नजारे भारत में प्राय: हर पर्यटन स्थल पर आम हैं। इससे भी आगे जाएं तो देश में सैक्स टूरिज्म का जहर भी धीरे-धीरे पसर रहा है। गरीबी, बेबसी को आधार बनाकर किया जाने वाला शोषण 'अतिथि सत्कार' की भारतीय परंपरा को बदल रहा है। यह पर्यटन का स्याह पक्ष है। खजुराहो जैसी जगहों पर बच्चों को बहला-फुसलाकर उनका शारीरिक शोषण करना पर्यटन की उस भारतीय विचारधारा से कतई मेल नहीं खाता, जिसमें पर्यटन स्थल और स्थानीय रहवासियों की गरिमा को सर्वोच्च माना गया है। बच्चे ही क्यों, महिलाओं और छोटी लड़कियों तक को शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। यह एक सुनियोजित नेटवर्क है। इसमें स्थानीय गाइड से लेकर ऑटो-टैक्सी वाले तक शामिल हैं। ये चौंकाने वाली जानकारियां मप्र के दो पर्यटन स्थलों- उज्जैन और खजुराहों में क्राय, इक्वेशंस और विकास संवाद के एक संयुक्त अध्ययन (2014) में सामने आई है।

उज्जैन में जहां बच्चे कई तरह का सामान बेचते मंदिर के आसपास नजर आते हैं, वहीं खजुराहो में कामुक किताबें बेचते या फिर विदेशी सैलानियों के साथ गाइड के रुप में देखे जा सकते हैं। सवाल यह है कि बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली जिले की समिति और सरकारी एजेंसियों की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ती ? क्या सिर्फ इसलिए, क्योंकि यह पर्यटन यानी उस जगह से कमाई का बड़ा स्रोत है ? मध्यप्रदेश में कितने बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित बाल श्रमिक का काम करते हैं, इसकी पुख्ता जानकारी सरकार के पास भी नहीं है। इसे असंवेदनशीलता का बर्बर उदाहरण ही कहेंगे कि राजधानी भोपाल के श्रम अधिकारी कार्यालय ने सूचना के अधिकार के जवाब में बताया कि उसे केवल चार बाल श्रमिकों की जानकारी है। जनगणना-2011 के आंकड़ों में बाल मजदूरों की देशव्यापी संख्या 1.12 करोड़ से बढ़कर 1.26 करोड़ हो गई है। इनमें से 85 प्रतिशत बाल मजदूर ऐसी जगहों पर काम करते हैं, जहां पर उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल है। फिर पर्यटन स्थलों पर इनकी खोज कैसे हो पाएगी ?

खजुराहो और उज्जैन में हर साल लगभग चार लाख देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। केवल घरेलू काम में ही नहीं, खजुराहो जैसे पर्यटन स्थल पर बच्चों को यौन कर्मों में लिप्त पाया गया है। इनमें केवल

अल्प व्यस्क लड़कियां ही शामिल नहीं हैं, बल्कि लड़के भी शामिल हैं। विदेशी महिला पर्यटक इनके शोषण में लिप्त हैं। हैरानी वाली बात यह है कि बहुत सारे मामलों में ऐसे काम करने वाले परिवार को भी जानकारी है। दरअसल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी दिक्कत, समस्या से नजर चुराना है। जब समाज, सरकार और जिम्मेदार लोग समस्या को स्वीकार करने की बजाए उसे न बताने या छिपाने में लग जाते हैं तो वह पूरे समाज के लिए नासूर की तरह ही हो जाती है। ऐसा ही कुछ हो भी रहा है। पर्यटन स्थलों पर बच्चों के यौन शोषण रोकने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वह कितने लचर हैं, इसे इस उदाहरण से समझें कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2010 में पर्यटन उद्योग के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण संहिता बनाई है। लेकिन इसमें होटलों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें अनिवार्य की जगह ऐच्छिक रखा गया है।

किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां और विशेष किशोर पुलिस इकाई की जो सक्रियता इन स्थलों पर होनी चाहिए, वह नहीं है। नतीजे के रूप में यहां पर बच्चों का शोषण का एक पूरा नेटवर्क बड़ी खामोशी से अपना काम कर रहा है। यह इसलिए भी, क्योंकि बच्चों के सस्ते श्रम के रुप में ही यह नजर नहीं आता, बल्कि कई बार यह पर्यटकों के सामने सेक्स के लिए परोसे जाने के रुप में भी सामने आता है और जाहिर सी बात है कि इसमें से कई बच्चे वह होते हैं जो तस्करी के जरिए लाकर इस तरह के धंधों में झोंक दिए जाते हैं।

मानव तस्करी से लायी गयी महिलाओं और बच्चों के ट्रैकिंग के लिए इन जगहों पर अलग से एक यूनिट होनी चाहिए, लेकिन वो भी सक्रिय नहीं है। साल 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ होने जा रहा है, जिसमें 6 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। पिछले कुम्भ के अनुभव बताते हैं कि ऐसे मौकों पर बच्चों की तस्करी और ज्यादा बढ़ जाती है। सिंहस्थ के होर्डिंग बनवाने में जुटे प्रशासन ने इससे निपटने की तैयारी के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है।

अक्सर बस न मौन रहें सुरागों को थोड़ा पहचानें
कुछ पूछें, कुछ जानें
धरती के इस इन वैभव स्थानों पर
दास बने बचपन के क्यों बिखरे पड़े अफसाने हैं।

8

बीमार देश में सेहतमंदी का बाजार

देश की 70 फीसदी आबादी को अनदेखा कर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना क्या सही है ?

आज से करीब दो दशक पहले भारत आने वाले विदेशी सैलानियों को सलाह दी जाती थी कि वे यथासंभव बीमारियों के संक्रमण से अपना बचाव करें। अब भारत 'दुनिया का दवाखाना' बन चुका है। यह अलग बात है कि डेंगू और टीबी से लेकर तकरीबन हर तरह की संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों का घर भारत में है। लेकिन भारत चमत्कारों का देश है। यहां के आलीशान अस्पतालों में चमत्कारिक डॉक्टर हैं, जो घरेलू मरीजों से ज्यादा विदेशी मरीजों के लिए चमत्कार करते हैं। वह भी विकसित देशों के मुकाबले 80 से 90 फीसदी सस्ते में। कुल मिलाकर यही लब्बोलुआब होता है ट्रैवल एजेंसियों के प्रचार का। यह मेडिकल टूरिज्म है, यानी सैर-सपाटे के साथ हर तरह की बीमारियों से निजात पाने का आसान जरिया। भारत सरकार भी इसके लिए जी-जान लड़ा रही है। झटपट 'एम' यानी कम से कम एक साल तक का मेडिकल वीजा मिल जाता है। विदेशी मुसाफिरों के ठहरने, यात्रा, इलाज और बाकी खर्चों को 'एकमुश्त पैकेज' में ही जोड़कर कुछ इस तरह के समीकरण बिठाए जाते हैं कि वे बोल उठें 'इनक्रेडिबल इंडिया'!

भारत चमत्कारों का देश है। यहां के आलीशान अस्पतालों में चमत्कारिक डॉक्टर हैं, जो घरेलू मरीजों से ज्यादा विदेशी मरीजों के लिए चमत्कार करते हैं। वह भी विकसित देशों के मुकाबले 80 से 90 फीसदी सस्ते में। कुल मिलाकर यही लब्बोलुआब होता है ट्रैवल एजेंसियों के प्रचार का।

मेडिकल टूरिज्म के प्रणेता माने जाने वाले अपोलो, मेदांता, एस्कॉर्ट्स और फोर्टिस जैसे फाइव स्टार अस्पतालों की परछाइयों से थोड़ी ही दूर देश के सबसे बड़े और प्रतिठित दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के बाहर एक दूसरा भारत नजर आता है। सड़क, फुटपाथ, गलियारों और कहीं थोड़ी जगह मिली तो प्लास्टिक की पन्नी वाली छत के नीचे बैठे सैंकड़ों लोग। कोई अपनी बारी के इंतजार में तो कोई धर्मशालाओं और रैनबसेरों में जगह के। थोड़ा और आगे गांवों की ओर बढ़ें तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर-नर्सों, सुविधाओं और दवाओं की किल्लत के आगे दम तोड़ता एक और भारत खड़ा मिलेगा। यह बीमार भारत है। इसे डायरिया या निमोनिया जैसी मामूली बीमारियां भी मौत के आगोश में पहुंचा देती हैं। नब्बे के दशक की शुरुआत तक देश की 75 फीसदी आबादी इन बीमारियों के आगे बेबस थी। छठे योजना आयोग ने

स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोला तो अस्सी के दशक में निजी अस्पताल कुकुरमुत्ते की तरह उगे और दस साल बाद उनमें से कई कॉर्पोरेट घरानों के अधीन बरगद के पेड़ बन गए। उन्हें औने-पौने दाम पर जमीन, उपकरणों और दवाओं के सस्ते आयात की सुविधा मिली तो कुछ संस्थानों को सरकार ने अपनी गोद में भी बिठा लिया। सबको एक समान स्वास्थ्य और निजी अस्पतालों में अनाप-शनाप फीस पर लगाम लगाने की नीति तो 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उल्टे यह कहा गया कि शहरी स्वास्थ्य ढांचा सेवाओं का उत्पादन करने वाली इकाई की तरह देश को डॉलर और पाऊंड लाकर देगा।

निस्संदेह यह भारत के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश में अमेरिका और योरोप को मात देने वाले अस्पताल हैं। भारत में हर साल अपना इलाज करवाने के लिए आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या 30 लाख के आसपास है। चार बिलियन डॉलर के इस वैश्विक बाजार में भारत तेजी से ऊपर की ओर आ रहा है। खासतौर पर दक्षेस और खाड़ी के देशों के लिए तो भारत वाकई 'स्वर्ग' है, जहां किराए की कोख से लेकर दिल, गुर्दा और जिगर तक आसानी से मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये किनके लिए हैं? एक ऐसे देश में जहां दो लाख बच्चे डायरिया से मर जाते हैं, वहां केवल विदेशी मुद्रा कमाने के लिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की नीति क्या संसाधनों के असमानतापूर्ण वितरण और अपने ही नागरिकों के साथ भेदभाव का परिचायक नहीं है? इसमें भी 70 प्रतिशत खर्च उन दवाओं के लिए होता है, जो बनती तो एक रुपए से भी कम में हैं, पर बिकती हैं 100 से 1000 गुना मुनाफे के साथ। देश की 80 फीसदी आबादी की पहुंच न तो अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक है और न ही मोटे मुनाफे के कैप्सूल में लिपटीं दवाओं तक। देश में 14 लाख डॉक्टरों, इससे तीन गुना अधिक नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ और 35 लाख बिस्तरों की कमी है।

भारत में हर साल चार करोड़ लोग इलाज के भारी-भरकम खर्च के चलते कर्ज में डूबकर कंगाल हो रहे हैं। देश में होने वाली मौतों में 52 फीसदी का कारण गैर संक्रामक बीमारियां और चोट हैं। बीमारियों के इलाज का 70 फीसदी हिस्सा लोगों को अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है।

एक स्वीडिश एजेंसी ने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पर 2013 में एक सर्वे किया था। इसमें पता लगा कि देश में प्रायवेट और सरकारी डॉक्टरों का अनुपात 80:20 है। केवल ओपीडी की बात करें तो प्रति 100 डॉक्टरों में 78 प्रायवेट और महज 22 सरकारी[12] डॉक्टर ही सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। इस खस्ताहाली के माहौल में उम्मीद की किरण जगी थी पिछले लोकसभा चुनाव में, जब सारे राजनीतिक दलों ने एक सुर में सवास्थ्य सेवाओं के सर्वव्यापीकरण के पक्ष में आवाज उठाई थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन' का ऐलान कर अपनी मंशा जता दी है। हालांकि, भारत जैसे देश को खोखले आश्वासनों से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं तक वंचितों की पहुंच, उपलब्धता और इनके किफायती होने का वचन चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के

12 health.economictimes.indiatimes.com

सर्वव्यापीकरण के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी होगी। सबको एक समान स्वास्थ्य का अधिकार देना होगा और इसके लिए जेब से 70 लाख करोड़ रुपए जितनी भारी-भरकम रकम भी ढीली करनी होगी। यहां सवाल मंशा का है। इच्छाशक्ति का है। एनडीए सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र से लेकर पहले बजट में सवास्थ्य को लेकर वादे बहुत किए, लेकिन इस साल के पूर्ण बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 20 फीसदी से ज्यादा की कटौती और मुफ्त दवाओं, जांच सुविधा का ठीकरा राज्यों पर फोड़ यह जता दिया कि उसकी दिलचस्पी संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी को स्वास्थ्य का एक समान हक देने में नहीं, मेडिकल टूरिज्म जैसे उपायों के जरिए विदेशी मुद्रा कमाकर अपनी तिजोरी भरने में ज्यादा है।

इलाज का खर्च : दुनिया बनाम भारत									
इलाज का खर्च	अमेरिका	थाईलैंड	सिंगापुर	मलेशिया	संयुक्त अरब अमीरात	दक्षिण कोरिया	मेक्सिको	कोस्टारिका	भारत
बायपास सर्जरी	1,30,000	11,000	18,500	9,000	40,900	31,700	27,000	24,100	7,000
दिल का वॉल्व बदलना	1,60,000	10,000	12,500	9,000	50,600	42,000	30,000	30,000	9,500
कूल्हे का प्रत्यारोपण	43,000	12,000	12,000	10,000	46,000	10,600	13,900	11,400	7,020
घुटना बदलना	40,000	10,000	13,000	8,000	40,200	11,800	14,900	10,700	9,200

सुन्दर जंगल के गलियारों में
मंदिर की टन टन आवाजों में
अतीत में, इतिहासों में
तलाशने निकले हैं कुछ हम,
क्या उस पथ पर
परचम शोषण के फहराने हैं।

9

पर्यटन और पर्यावरणीय तकाज़े

ज्यादा कमाई के लालच में आबोहवा को नुकसान पहुंचाना विनाश को बढ़ावा देने जैसा है

विकास और आर्थिक समृद्धि आपस में समानार्थी माने जाते हैं। बड़े बांधों, ऊर्जा संयत्रों और एक्सप्रेस वे जैसी मेगा परियोजनाओं के निर्माण को तरजीह इसी सोच के साथ दी जाती रही है। पर्यावरण पर खतरों के बावजूद उन्हें महत्व दिया जाता रहा है। भारत सरकार देश में आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। देश में औद्योगिकीकरण तेज हुआ है। शहरीकरण बढ़ा है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन भी हुआ है।

पर्यटन भी आर्थिक विकास का प्रभावी जरिया है, लिहाजा इस क्षेत्र को भी खासी तवज्जो दी जा रही है। राज्य सरकारें भी इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मौजूदा योजनाओं और नीतियों से भी इस बात का पता चलता है। इनमें आवंटन पर्यटन क्षेत्र के लिए काफी बड़े आवंटन किए गए हैं। लेकिन पर्यटन विकास की योजनागत प्रक्रिया और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इनके प्रभावी-सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी नजर आती है। पर्यटन के अनियमित तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसका नतीजा भूमि क्षरण, बढ़ते प्रदूषण, समुद्र व अन्य जलीय स्रोतों में अवशिष्टों और प्रदूषित जल का निस्तारण, प्राकृतिक आश्रय स्थलों का ह्रास, लुप्त होने के कगार पर जा पहुंची प्रजातियों पर बढ़ते दबाव, अन्य प्रजातियों के लिए प्रजातियों के आविर्भाव तथा जंगल में आग लगने की घटनाओं के रुप में नजर आती है। पर्यटन का विस्तार वन्य और समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है। इन इलाकों में नियम-कायदों को ताक पर रखकर निर्माण करने के मामले बढ़े हैं। पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करने में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं।

पर्यटन विकास की योजनागत प्रक्रिया और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इनके प्रभावी-सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी नजर आती है। पर्यटन के अनियमित तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं।

पर्यटकों का भारी तांता

पर्यटन स्थलों पर कचरे की मात्रा बढ़ रही है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पर्यटन क्षेत्र के वन्य जीव स्थितियों, पारिस्थतिकीय पर्यटन और प्रकृति की गोद में भ्रमण को एक उत्पाद के रुप में पेश करने में कामयाबी

हासिल कर ली है। शांत तटों और हरे भरे वनों तक समृद्ध सैलानियों की पहुंच मुमकिन होने से जैव विविधता के लिहाज से समृद्ध इन इलाकों के पर्यावरण संतुलन बिगड़ने की आशंका बराबर बनी रहती है। पर्यटकों और पर्यटन उद्योग की लगातार बढ़ती मांग के कारण इन इलाकों में अधोसंरचना का निर्माण जरुरी बन गया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है।

जलीय प्रदूषण भी बढ़ा है। तटीय इलाकों में रेत के टीले देखे जा सकते हैं। तटीय वनस्पतियां नष्ट हुई हैं। यह भी उस स्थिति में देखने को मिल रहा है जब तटीय क्षेत्र संबंधी नियम-कानून बेहद सख्त है, सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की गरज से विभिन्न करों में छूट दी है। स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए गए हैं। इस कारण ज्यादा से ज्यादा भूमि को इन जोनों के लिए अधिग्रहित किया गया है। अभी तक इस जमीन का इस्तेमाल कृषि और आजीविका के अन्य जरियों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सरकार ने जमीन का उपयोग बदलने की गरज से अनेक क्षेत्रों में छूट दी है। इन हालात में बड़ी परियोजनाएं संभावित प्रभावों का स्थानीय निकायों और मान्यता प्राप्त एजेन्सियों द्वारा अध्ययन कराए बिना कार्यान्वित किए जाने से पर्यावरण को बिगाड़ने का ही काम कर रही हैं। इसका नतीजा हमारे सामने है। अक्सर पर्यटन स्थलों खासकर संरक्षित क्षेत्रों में क्षमता से ज्यादा पर्यटक पहुंचने से परिस्थितिकी पर बेतरतीब दबाव की स्थिति बन जाती है।

ज्यादा राजस्व की ललक

सवाल उठता है कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने का यह तरीका आखिर किस बात से प्रेरित है? इसका जवाब चिंतित करने वाला है। पर्यटन से ज्यादा राजस्व कमाने की ललक ने इस क्षेत्र में नये उद्यमियों की भीड़ खड़ी कर दी है। इनका मकसद किसी भी कीमत पर अधिकाधिक संख्या में सैलानियों को लाना और अपनी जेब भरना है। इस सोच ने पर्यावरण की सूरत बिगाड़ रखी है। पहले ऐसा नहीं था। राजस्थान की ओर निहारें तो ऐसी असंख्य बावड़ियां मिल जायेंगी, जो उस समय सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा में लोगों की प्यास बुझाने का काम करती थीं। फिलहाल, हम वाइल्ड लाईफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जंगल के भीतर सैकड़ों पेड़ काटकर होटल और रिसॉर्ट बनाते हैं। नदियों, बांधों में वाटर-स्पोर्ट्स गतिविधियों की योजना बनाते समय भूल जाते हैं कि इनका स्थानीय जल-जीवन और उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इन पर आश्रित हैं। इसी तरह का मामला इको-टूरिज्म का भी है। भारत की सांस्कृतिक विरासत दुनिया में अनोखी इसलिए है, क्योंकि इसका मूल विविधता में केन्द्रित है, जो पहाड़ों, वन संपदा, खेतों-खलिहानों के रुप में प्रकृति के संतुलन पर निर्भर है। पर्यटन का अनियोजित विकास इस संतुलन को गहरे तक प्रभावित करता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव उन स्थानीय समुदायों पर पड़ता है, जो स्थानीय रुप से वहां रहते हैं।

नदियों, बांधों में वाटर-स्पोर्ट्स गतिविधियों की योजना बनाते समय भूल जाते हैं कि इनका स्थानीय जल-जीवन और उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इन पर आश्रित हैं।

10

एक सजग पर्यटक की डायरी

पर्यटन के नजरिए और तहजीब में बदलाव जरूरी

सुना करो मेरी जां उनसे उनके अफ़साने
सब अजनबी हैं यहां कौन किसको पहचाने – **कैफी आजमी**

पर्यटन के अंधाधुंध विस्तार ने कुछ ऐसी ही तस्वीर हम सबके सामने खींच दी है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या, उनकी जरुरतों, इच्छाओं, प्रवृत्तियों और आदतों ने विशिष्ट पर्यटन स्थलों की शक्लो-सूरत की ऐसी प्लास्टिक सर्जरी कर दी है कि अब आप शिमला और पचमढ़ी, ओरछा और खजुराहो या बनारस और उज्जैन में अधिक फर्क महसूस नहीं करते। पर्यटन की कथित वैश्विकता और अनिवार्यता के चलते रेगिस्तानी राजस्थान में स्वीमिंग पूल और गोल्फ कोर्स अब अनिवार्यता बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के महलों, किलों, बाजारों, शहरों, ढाणियों और गांवों में घूमने वालों के दिमाग में यह प्रश्न क्यों नहीं कौंधता कि यहां का रेगिस्तानी क्षेत्र दुनिया के अन्य रेगिस्तानी क्षेत्रों की बनिस्बत सबसे घना कैसे बन और बस पाया। यह प्रश्न किसी स्थापत्यीय संरचना की जानकारी लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने पर्यटन को बजाए जिज्ञासा के, शांति के मनोरंजन (सतही) गतिविधि में परिवर्तित कर दिया है।

क्या हमेशा से ऐसा ही था। सन् 1980 के दशक में विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने जिन दो प्रमुख वित्तीय गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकने का निर्णय लिया, उनमें पहली थी परमाणु ऊर्जा और दूसरी थी पर्यटन गतिविधियां। यानि एक तरह से यह दोनों समान रुप से खतरनाक मानी गई थीं। निदेशक मंडल का मानना था कि स्थापित विशेष 'पर्यटन केन्द्र' के नकारात्मक असर साफ दृष्टिगोचर हुए हैं। लेकिन सन् 1990 के दशक में विश्व बैंक ने इस संबंध में अपना नजरिया बदलने के लिए अत्यंत चालाकीपूर्ण रास्ता चुना। उसने वन्यजीव संरक्षण एवं सतत् विकास की दुहाई देते हुए भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, वन अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों आदि को एक तरह से खोल दिया और परिणामस्वरुप बड़ी संख्या में आदिवासी व वनवासी विस्थापित हुए। जैसी कि आशंका थी, इनमें पर्यटकों की संख्या में खूब वृद्धि हुई और इससे कथित जीडीपी के घोड़े की घास का इंतजाम होने की उम्मीद जग गई। परन्तु उनके लिए मामला अभी भी संतोषप्रद नहीं था। वे तो अधोसंरचना में निवेश चाहते थे। इसलिए उन्होंने उत्तरपूर्वी भारत व बुद्ध सर्किट जैसे अनेक पर्यटन स्थलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सड़क, हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के लिए ऋण देना प्रारंभ किया। यानि आधार तो पर्यटन ही है।

यदि इसका चरण देखना चाहें तो दिल्ली मेट्रो की 'डीपीआर' हमें सब कुछ समझा देगी।

यदि व्यक्तिगत बात करें तो पर्यटन के इस नाम स्वरूप से मेरा खुद का पहली बार पाला दिसंबर 1991 में दिल्ली के पास स्थित हरियाणा के पर्यटन स्थल 'सूरजकुंड' में पड़ा। यहां पर हमें 'सूरजकुंड शिल्प मेला' परिसर में इस वर्ष की थीम स्टेट मध्यप्रदेश का मुख्य द्वार यानि दंतेश्वरी देवी की 37 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए भेजा गया था। इससे पहले लाल किला, कुतुब मीनार, लखनऊ का इमामबाड़ा, सांची या भीम बैठका जैसे स्थल हमारे महज दर्शनीय स्थल या मौज-मस्ती के केंद्र भर नहीं थे। यह स्थापत्य, संस्कृति और इतिहास से संवाद के स्थान थे। सूरजकुंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां की तीन होटलों में अनगिनत कमरे थे और वह दिन में पूरे भरे रहते थे। रात में अक्सर वहां कोई नहीं होता था। हरियाणा पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी अनौपचारिक तौर पर बताते थे कि 'हमारे यहाँ होटलों की बुकिंग 300 प्रतिशत तक हो जाती है और तुम्हारा मध्यप्रदेश'! यह कहकर वह चुप हो जाते थे। इंदौर जैसे छोटे शहर व निम्न मध्यवर्गीय परिवार के सदस्य के नाते यह सब हमें आश्चर्यचकित करने वाला था। सुबह होते ही वहां कारों का अंबार लग जाता था। प्रत्येक कार/दो पहिया से एक जोड़ा उतरता, होटल के रजिस्टर में यात्रा के उद्देश्य में 'आराम करना' लिखता और कमरे में बंद हो जाता!! शुरु में कुछ समझ न पड़ा। दो-तीन दिन में माजरा समझ में आ गया।

इसके बाद मध्यप्रदेश के दो पर्यटक स्थलों, खजुराहो, ओरछा में भी कुछ काम करने को मिला। यह पिछली शताब्दी के अंतिम दशक का समय था। तब खजुराहो अपनी तमाम वैश्विक पहचान के बावजूद एक गांव था, जहां ठेठ बुदेली संस्कृति व स्थापत्य मौजूद था। याद रखिये, पर्यटन तब भी वहां का मुख्य व्यवसाय ही था। वहीं ओरछा बुंदेली संस्कृति व स्थापत्य का जीवंत प्रतीक था। रामराजा का मंदिर ही वहां की आत्मा थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि सारा ओरछा अपनी गतिविधियों को रामराज के प्रति जवाबदेह होकर ही संचालित करता हो। लेकिन अब लगता है कि यहां भी शायद सूरजकुंड का प्रेत निवास करने लगा है। पर्यटक वहां लोगों के घरों में घुस गया है। घर टूटकर बहुत घटिया किस्म के होटल या गेस्ट हाउस में परिवर्तित हो गए हैं। इसमें आने वाले अधिकांश झांसी के बिगड़ैल हैं और वो यहां किसलिए आते हैं, इसके विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है।

पिछले दो दशकों में खजुराहों को मूर्ति शिल्प के दिव्य स्थल की बजाय कुछेक मिथुनरत मूर्तियों के लिए कुख्यात कर दिया है। यहां का आचरण अब वर्जनाहीनता की ओर बढ़ता जा रहा है। गंभीर अध्येताओं का आना कम होता जा रहा है। दु:खद यह है कि पर्यटक भी घट रहे हैं। दु:खद यह भी है कि बुंदेलखण्ड के इन दोनों प्रमुख स्थलों पर बुंदेली साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, स्थापत्य एवं मूर्तिकला को लेकर एक भी संदर्भ केंद्र नहीं है। ओरक्षा 'साकेत' नामक एक संग्रहालय रामकथा की लोकचित्रकला में उपस्थिति को लेकर तैयार किया गया था लेकिन वह संदिग्ध परिस्थितियों में आग की भेंट चढ़ गया। खजुराहों में आदिवासी संस्कृति पर आधारित संग्रहालय 'आदिवर्त' अब हांफ रहा है। वैसे भी पिछले 20 वर्षों में 'जो बिकता है वही चलता है' की संस्कृति विकसित हुई है। इस दौरान

भारत में पाताल के पानी से लेकर अंतरिक्ष में स्थित स्पेक्ट्रम तक सब कुछ विकसित हो गया है। पर्यटन स्थल इन दोनों के बीच पृथ्वी पर स्थित है और भारत के हजारों खजुराहो, ओरछा जैसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक-आध्यात्मिक केंद्र नीलामी के मंच पर चढ़ा दिए गए। क्या हम इन परिस्थतियों को बदलना चाहेंगे ? वैसे बुन्देली के लिए अभी भी खजुराहो भंतेश्वर महादेव और ओरछा रामराज ही है।

सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज फौजी अधिकारी और रेजिडेंसी के आदिवासी प्रभारी मेजर आइण्स ने लिखा था कि 'लखनऊ सुन्दर महलों का शहर था' – ये महल समाप्त हो गए, 'लखनऊ बागों का शहर था' – बाग बरबाद हो गए, 'लखनऊ शहर था थियेटर का' – थियेटर समाप्त हो गए। और अंत में उसने लिखा था कि 'लखनऊ तहजीब का शहर था' वह भी समाप्त हो रही है। हमें पर्यटन के विकास के अपने नजरिये और तहजीब दोनों में बदलाव लाना ही होगा। यह बदलाव सरकारें और बाजार नहीं लायेंगे। इनका तो गठजोड़ हो गया है। अब तो खजुराहो, लखनऊ, नैनीताल, अल्मोड़ा, त्रिशूर, हैदराबाद, ओरछा के समाज को ही पर्यटन की परिभाषा को ठीक करना होगा। बस यही एक रास्ता है।

नित नया पाठ उन्हें सिखाते हैं,
जीवन के इस विद्यालय में
टाँगें हैं जो छोटे काँधे बोरे
दुनिया के कूड़े करकट के
वो काँधे हमें ही अपनाने हैं।

यह जानकारी मुझे विचलित करती है कि भारत भी दुनियाभर में बाल यौन पर्यटन का प्रमुख ठिकाना बन रहा है। मैंने केंद्र में तत्कालीन पर्यटन मंत्री कुमारी शेलजा के समक्ष यह मसला उठाया था और उन्होंने भी इसे रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था। सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन का कोड लागू हुआ, इसकी निगरानी की वयवस्थाएं मुकम्मल की गईं, लोगों का प्रशिक्षण भी हुआ। लेकिन इन सभी कोशिशों के बीच मुझे अक्सर यह पूछा जाता था कि सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन का कोड अनिवार्य करना कितना जरूरी है? पर्यटन को समवर्ती सूची में क्यों नहीं रखा गया है? इन सबको देखकर लगता है कि सुरक्षित और सम्मानजनक आचार संहिता को अनिवार्य बनाना आसान नहीं है।'

–सुजीत बनर्जी

पूर्व पर्यटन सचिव और डब्लूटीटीसी के महासचिव

'पर्यटन मंत्रालय की नीति देश में एक स्थायी और गरिमामय पर्यटन को बढ़ावा देने की है और इसके लिए सरकार से सुरक्षित और सम्मानजनक आचार संहिता पर दस्तखत भी किए हैं। लेकिन मेरे विचार में जमीन पर इस दिशा में कुछ ठोस नहीं हुआ है। यह इच्छाशक्ति और सुविचारित उपायों पर निर्भर है। मुझे लगता है कि मंत्रालय, पर्यटन से जुड़े भागीदार और मीडिया को इस दिशा में भूमिका निभाने की जरूरत है। पर्यटन उद्योग इस क्षेत्र में बच्चों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा।'

–ललित पंवार

पर्यटन सचिव, भारत सरकार

(जैसा उन्होंने रित्विक सिन्हा से कहा)

(सौजन्य : टूरिज्मफर्स्ट – जून 2015)

ISBN No. : 978-93-81408-25-4

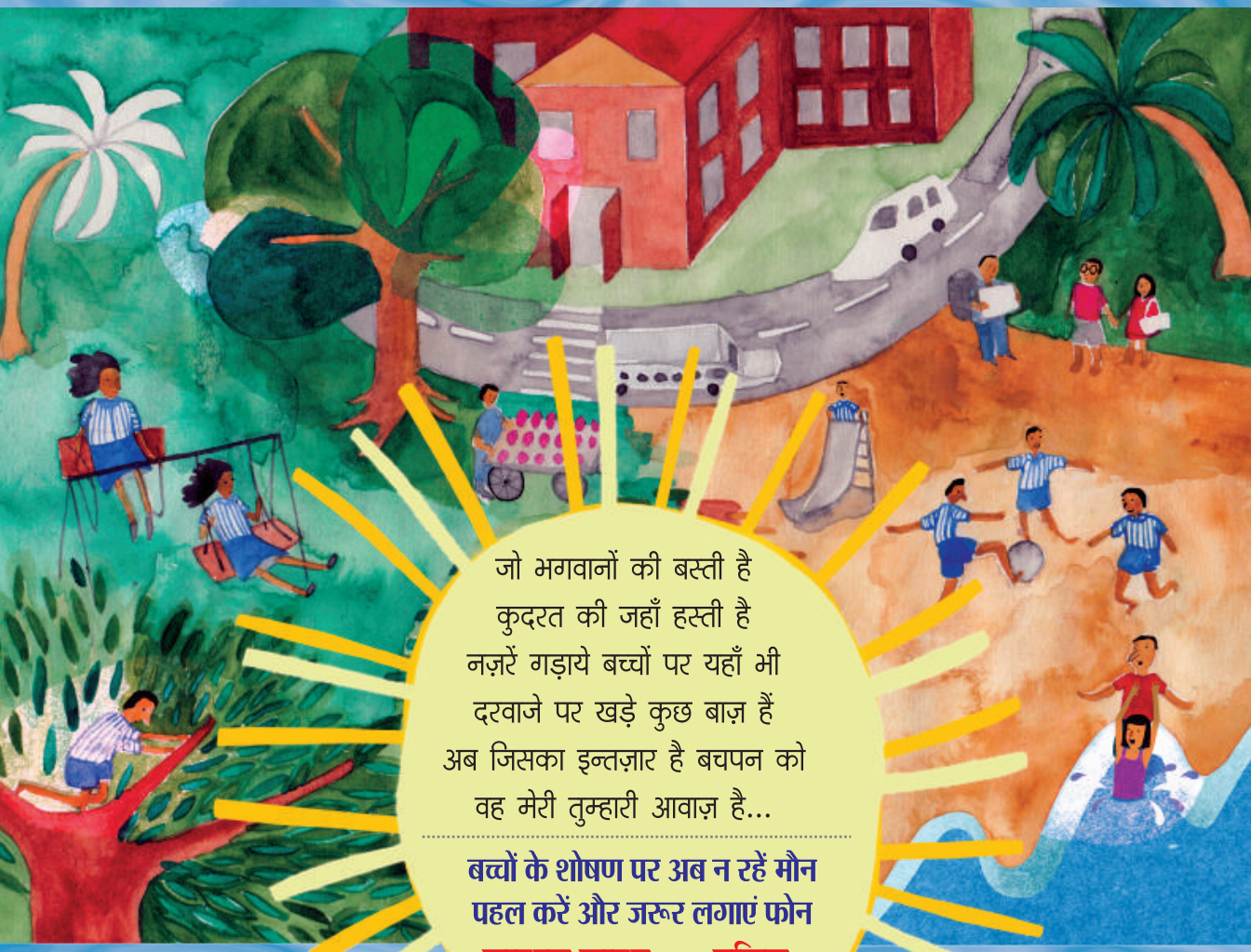

जो भगवानों की बस्ती है
कुदरत की जहाँ हस्ती है
नज़रें गड़ाये बच्चों पर यहाँ भी
दरवाजे पर खड़े कुछ बाज़ हैं
अब जिसका इन्तज़ार है बचपन को
वह मेरी तुम्हारी आवाज़ है...

बच्चों के शोषण पर अब न रहें मौन
पहल करें और जरूर लगाएं फोन

चाइल्ड लाइन 1098
पुलिस 100

CARITAS-GOA · Centre for Responsible Tourism · Children's Rights in Goa · Equations · JAN UGAHI TRUST · विकास संवाद